

प्रेस नोट

दिनांक 31.05.2025, थाना इटियाथोक

जनपद गोण्डा।

थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा दहेज मृत्यु के 02 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 119/2025 धारा 80, 85(2) बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त 01. नरेन्द्र कुमार कोरी, 02. इन्द्रसेन कोरी को उनके घर बेलवा शुक्ल से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 30.05.2025 को वादिनी द्वारा थाना इटियाथोक में लिखित तहरीर दी गयी कि उसकी बहन को उसके ससुरालजनों द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते हुए जान से मार दिए है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 119/2025, धारा 80, 85(2) बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट बनाम नरेन्द्र कोरी आदि 02 नफर अभियुक्तों के विरुद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा विवेचना क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान दोषी पाये गए अभियुक्तों 01. नरेन्द्र कुमार कोरी, 02. इन्द्रसेन कोरी को आज दिनांक 31.05.2025 को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय खाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. नरेन्द्र कुमार कोरी पुत्र इन्द्रसेन कोरी निवासी बेलवा शुक्ल थाना इटियाथोक, जनपद गोण्डा।

02. इन्द्रसेन कोरी पुत्र अलगाऊ निवासी बेलवा शुक्ल थाना इटियाथोक, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं० 119/2025, धारा 80, 85(2) बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा ।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ०नि०धर्मराज शर्मा

02. हे०का० राघवेन्द्र प्रताप शाही

03. म०आ० आरती सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा।